

सामान्य जानकारी, नियम व शर्तें (General Information, Terms & Conditions)

A- पात्रता (Eligibility) :

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होगा और उम्मीदवार की आयु अधिसूचना की तिथि से 18-35 वर्ष के बीच होगी।

Minimum educational qualification shall be 10th passed and the age of the candidate shall be between 18-35 years on the date of the notification.

2. मेडिकल फिटनेस (Medical fitness): -

प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीदवार को एक पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, यह प्रमाणित करते हुए कि उम्मीदवार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण लेने के लिए फिट है और दृष्टि / श्रवण / मानसिक स्थिति के संबंध में फिट है और किसी भी संचारी रोग से पीड़ित नहीं है।

Candidate should be medically fit to undergo training. Candidate will be required to submit fitness certificate from a registered MBBS doctor, certifying that candidate is fit to undergo training in industrial environment and is fit with respect to visual/hearing/mental condition and is not suffering from any communicable disease.

B. चयन का तरीका (. Mode of selection):

चयन अधिसूचना के खिलाफ आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार मेरिट सूची (व्यापार-वार) के आधार पर होगा। मैट्रिक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

Selection will be on the basis of Merit List prepared (Trade-wise) in respect of all the candidates who apply against the notification. The Merit List will be prepared on the basis of percentage of marks obtained in Matriculation.

C. प्रशिक्षुओं के लिए नियम और शर्तें (Terms and Conditions for Trainees) :

आवेदन जमा करने के समय अधिसूचना के माध्यम से और अंडरटेकिंग के माध्यम से उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों से अवगत होना चाहिए।

The candidates have to aware following conditions through notification calling for application and through undertaking at the time of submission of application.

1. आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

The application should be submitted in prescribed format with necessary documents.

2. "रेल कौशल विकास योजना" के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का इस तरह के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा।

Candidates imparted training under "Rail Kaushal Vikas Yojana" will have no claim to seek employment on Railways on the basis of such training.

3. रेल प्रशासन प्रशिक्षुओं को वजीफा (stipend) देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Railway administration will not be liable to pay stipend to the trainees.

4. इस योजना के तहत उम्मीदवारों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण धर्म, जाति, पंथ या नस्ल के बगैर दिया जाएगा।

There will be no reservation given to the candidates under this Scheme. The training will be conducted irrespective of religion, caste, creed or race.

5. प्राधिकरण या प्रवेश पास जारी किया जाएगा।

Authorization or entry pass will be issued.

6. एक उम्मीदवार को केवल एक ट्रेड में और केवल एक बार प्रशिक्षण लेने की अनुमति होगी। किसी भी उम्मीदवार को कोई दोहराव वाले पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि अन्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल सके।

One candidate will be allowed to avail training in only one trade and only one time. No repetitive courses will be allowed to any candidates so that other candidates may also get chance.

7. चूंकि यह एक छोटी अवधि का पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण जारी रखने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

Since it is a short duration course, 75% attendance is a must for continuation in the training and issue of a certificate.

8. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक परीक्षा होगी और सफल उम्मीदवारों को ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। There will be a test after completion of training and certificates will be issued only to successful candidates.

9. पास मानदंड व्यावहारिक में 60% और लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा में 55% होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

Pass criteria shall be 60% in practical and 55% in written (Objective) examination. Written examination will be conducted in online/offline mode.

10. प्रशिक्षण केवल दिन के समय प्रदान किया जाएगा।

The training will be provided only during the day time.

11. प्रशिक्षुओं को नौकरी, उपकरण, गेज, मशीन, उपकरण, मानव आदि की पूरी सुरक्षा के साथ संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे उनकी या साथी श्रमिकों की सुरक्षा को खतरा हो, इसके अलावा, वह किसी भी अनैतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी।

Trainees should follow the rules of the organization with full safety of jobs, tools, gauges, machines, equipments, human etc. He/she should not indulge in any activity which jeopardizes his /her safety or that of fellow workers, Further, he/she should not be part of any unethical activity. No FIR should have been lodged against the candidates.

12. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 10 रुपये पर एक हलफनामा प्रस्तुत करना चाहिए। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, कौशल विकास प्रशिक्षण के मानदंडों का पालन करने के लिए रेलवे को विधिवत नोटरीकृत हलफनामे में रोजगार, अनुशासन और सुरक्षा आदि मुद्दे शामिल होने चाहिए।

Shortlisted candidates should submit an affidavit on Rs. 10 non-judicial stamp paper, duly notarized to Railway for following the norms of skill development training. The affidavit should cover the issue on employment, discipline and safety etc.

13. प्रशिक्षुओं को वापसी योग्य आधार पर कौशल/सुरक्षा विकसित करने के लिए आवश्यक हेलमेट, फेस शील्ड, औद्योगिक जूते, हाथ के दस्ताने आदि प्रदान किए जाएंगे।

The trainees will be provided helmet, face shield, industrial boots, hand gloves etc. required for developing the skill/safety on returnable basis.

14. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

Trainees will not damage the Railway property during this training programme.

15. प्रशिक्षु को कोई भत्ता जैसे दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

No allowance like daily allowance/conveyance allowance or travelling allowance etc will be paid to the trainee.